संख्या-13/2015/499 /क.नि.प्र./26-3-2015

प्रेषक,

सुनील कुमार,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग लखनऊः दिनांकः 21 मई, 2015

विषयः- प्रदेश में चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित किए जाने के संबंध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि शासनादेश संख्या-1159/26-2-2014-100(1)/2013 दिनांक 12 मई, 2015 द्वारा समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत पात्र पाये गये परिवार के आवेदकों का संशोधित वरीयता क्रम निर्धारित किया गया है जिसके अन्तर्गत हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत चिन्हित स्वच्छकारों को ग्रामीण क्षेत्र में द्वितीय तथा शहरी क्षेत्र में प्रथम वरीयता क्रम में रखा गया है। उक्त अधिनियम के प्राविधानों के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न जनपदों में ग्रामीण-क्षेत्र में 7612 तथा शहरी/नगरीय क्षेत्र में 2404 हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों/स्वच्छकारों का चिन्हांकन किया गया है जिनकी जनपदवार सूची सम्बन्धित जनपद के जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) के कार्यालय में उपलब्ध है।

2- मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया जनपदों में चिन्हित हाथ से मैला उठाने वाले व्यक्तियों को समाजवादी पेंशन योजना के अन्तर्गत आच्छादित करने हेतु उनकी पात्रता का परीक्षण करते हुये उक्त योजनान्तर्गत वर्ष 2015-16 में समाजवादी पेंशन हेतु निर्धारित/आवंटित की गयी नयी स्वीकृतियों के सापेक्ष ऐसे सभी पात्र लाभार्थियों को वरीयता/प्राथमिकता के आधार पर चयनित करते हुये उन्हें समाजवादी पेंशन योजना के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

अन्तर्गत लाभान्वित किया जाय तथा स्थिति की आप अपने स्तर से भी निरन्तर समीक्षा/अनुश्रवण भी सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

सुनील कुमार
प्रमुख सचिव

पृ0संख्या-13/2015/499(1)/क.नि.प्र./26-3-2015 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रबंध निदेशक, उ0प्र0 अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, उ0प्र0, लखनऊ।

2- समाज कल्याण अनुभाग-2

आज्ञा से,

दीनानाथ
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।